FORM A

In The,
EXCLUSIVE SPECIAL EXCISE COURT NO. 1, BANKA
CUM
ADDITION DISTRICT AND SESSIONS JUDGE – 2ND, BANKA

Present – Javed Ahmad Khan, A.D.J. -II

[Date of Judgment:- 14-03-2022]

[Spl. Exc. case No. 247/19]

Reg. No. : Spl. Exc. 247/19

Crime:- 37(b), 30(a)(g), 32(2) Bihar Prohibition & Excise Act, 2016

Police Station:- Chandan, P.S case no. - 106/19

INFORMANT	Md. Khurshid Alam, A.S.I. Chandan P.S.
REPRESENTED BY	Learned Special P.P. Sri Avdesh Singh
ACCUSED	Amit Kumar, S/o Mithilesh Kumar, Age about 28 Years.
REPRESENTED BY	Learned Advocate Sri Arvind Kumar Singh

FORM B

Date of Offence	13.06.2019
Date of F.I.R.	13.06.2019
Date of Chargesheet	30-06-2020
Date of Framing of Charges	27-01-2021
Date of commencement of evidence	03-03-2022
Date on which judgment is reserved	11.03.2022
Date of the Judgment	14.03.2022
Date of the Sentencing Order, if any	

Accused Details

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
1	Amit Kumar	13-06-19	15-06-19	37(b), 30(a)(g), 32(2) Bihar Prohibition & Excise Act 2016	Acquittal		3

FORM C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS
	NIL	NIL

B. Defene Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS
Nil	Nil	

C. Court Witness, if any:

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (EYE WITNESS, POLICE WITNESS, EXPERT WITNESS, MEDICAL WITNESS, PANCH WITNESS, OTHER WITNESS
Nil	Nil	

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution

Sr. No.	Exhibit Number	Description
Nil	Nil	

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Nil	

C. Court Exhibits

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Nil	

D. Material Objects

Sr. No.	Material Object Number	Description
1	Nil	

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध धारा 37 (बी) 30 (ए) (जी) 32(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है।

2. अभियोजन वाद का वृतांत संक्षेप में इस प्रकार है कि सूचक मो0 खुर्शीद

आलम, स0अ0नि0 चांदन थाना के द्वारा एक लिखित आवेदन थानाध्यक्ष, चांदन थाना को इस आशय का दिया गया है कि दिनांक 12.06.2019 को समय 17:00 बजे संध्या में दर्दमारा चेकपोस्ट पर होमगार्ड जवान के साथ वाहनो का जांच कर रहें थे उसी क्रम में करीब 19:00 बजे देवघर की तरफ से एक मोटरसाईकिल आ रहा था रोकन का ईशारा पर भागने का प्रयास किया तब साथ के बल के सहयोग से रोका गया। उसके मुंह से शराब का गंध आ रहा था। नाम पता पुछने पर अपना नाम अमीत कुमार बताये तथा वे बताये कि मैं कनीय विद्युत अभियंता के पद पर कार्यरत हुँ। स्वतंत्र साक्षी नहीं मिलने के कारण साथ के जवान को साक्षी मानते हुए तलाशी नियम का नियम का पालन करते हुये जांच करने पर उसके पीठ पर टंगा हरा रंग के बैग से गॉड फादर कम्पनी का 500 एम.एल. वाला 3 केन वियर बरामद हुआ। बरामद शराब तथा मोटरसाईकिल नंबर जे.एच. 15 एन. 7360 को विधिवत जब्त किये। पकडाये अभियुक्त को थाना लाये तथा ब्रेथएण्लाईजर मसीन से जांच करने पर 39एम.जी./100एम.एल. पाया गया। पकडाये अभियुक्त अमित कुमार को बांका ने खुन एवं पेसाब का सेम्पल लेकर जे.एल.एम.सी.एच. भागलपुर जांच हेतु भेज दिये। तत्पश्चात् पकडाये अभियुक्त को विधिवत गिरफ्तार किये।

3. सूचक के लिखित आवेदन के आधार पर चांदन थाना कांड संख्या – 106/19 दिनांक – 13.06.2019 अन्तर्गत धारा 37 (बी) 30 (ए) (जी) 32(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के पश्चात अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा – 37 (बी) 30 (ए) (जी) 32(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत आरोप पत्र समर्पित किया गया। तत्पश्चात संज्ञान लिया गया एवं विशेष न्यायालय होने के कारण इस न्यायालय को अभिलेख हस्तानांतरण किया तत्पश्चात् अभिलेख का विचारण किया गया।

4. अभियुक्त की उपस्थिति के उपरांत धारा – 37 (बी) 30 (ए) (जी) 32(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत आरोप का गठन कर हिन्दी में विरचित किया गया, जिसे इन्कार कर विचारण का दावा किया गया, तत्पश्चात विचारण किया गया।

5. अभियोजन को साक्ष्य बंद होने के पश्चात् अभियुक्त का बयान धारा 313 द0 प्र0 स0 के तहत अभिलिखित किया गया, जिसमे अभियुक्त ने अधिरोपित आरोपों सें इन्कार किया एवं अपने को निर्दोष कहा है परन्तु अपने कथन के समर्थन में कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अब न्यायालय के समक्ष निर्णय के बिन्दु पर विचारणीय प्रश्न है कि अभियोजन अपने वाद को संभावित अंधेरा के युक्ति युक्त संदेहों के परे प्रमाणित करने में सफल रहा है, अथवा नही ?

<u>मन्तव्य</u>

7. अभिलेख अवलोकन से विदित हेाता है कि अभियोजन के द्वारा आरोप पत्र में कुल 04 साक्षियों का नाम अंकित किया गया है परन्तु आरोप पत्र में वर्णित किसी भी साक्षीं का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया गया और ना ही साक्षियों को प्रस्तुत नहीं किये जाने का कोई कारण ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जबकि न्यायालय द्वारा भी साक्षियों उपस्थिति हेतु उनके विरूद्ध दिनांक 7.03.2021 को सम्मन, दिनांक 22.09.2021 को जमानतीय एवं दिनांक 22.01.2022 को गैरजमानतीय वारंट निर्गत किया गया है। जबकि अभियोजन के विशेष लेाक अभियोजक अवधेश कुमार सिंह को अभिलेख दिनांक 18.09.2021 एवं 03.03.2022 को दृष्टिगत कराया गया है। अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद दिनांक 10.03.2022 को अंतिम अवसर दिया गया है, तत्पश्चात् साक्ष्य बंद किया गया।

10. अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध किसी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही सूचक, अनुसंधानकर्ता का परिक्षण कराया गया है और ना ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और ना ही अभियोजन द्वारा ब्रेथएण्लाईजर रिर्पोट को प्रदर्श के रूप में साबित कराया गया है और ना ही अभियेाजन के द्वारा कोई ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य लाया गया है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि जब्त प्रदर्श शराब ही था। इस प्रकार यह वाद साक्ष्य विहिन हो जाता है अतएव अभियुक्त अमित कुमार को संदेह का लाभ देना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में मैं यह धारण कर पाता हूँ कि अभियेाजन अपने वाद को प्रमाणित करने में सफल नहीं रहें है इसलिए अभियुक्त अमित कुमार को संदेह का लाभ देकर आरोप की धारा 37 (बी) 30 (ए) (जी) 32(2) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 में निर्दोष पाकर दोष मुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त को अंतर्गत धारा 437 ए सी.आर.पी.सी. के अंतर्गत 10000/— रू0 के दो प्रतिभूओं के साथ बंध पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाता है इस शर्त के साथ कि अगले छः माह तक यदि राज्य सरकार अपिल में माननीय उच्च न्यायालय जाती है तो अभियुक्त उपस्थित होंगे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

विशेष उत्पाद न्यायालय, बांका प्रथम सह
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
बांका
दिनांक : 14.03.2022

विशेष उत्पाद न्यायालय, प्रथम, बांका सह
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय
बांका
दिनांक : 14.03.2022